

अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

रामकिशोर प/स राज ० ५८७१८

हुक्म जारी करी
पेशी

2023/339

हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर

श्री ७०१८१५ ११९८४

श्री

५९-

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील
जारी हुए

16/1/24

रामकिशोर बनाम राजस्थान सरकार (2023/339)

पत्रावली पेश की गई। अभिभाषक अपीलांट एवं राजकीय अभिभाषक उपस्थित। अभिभाषक अपीलांट ने बताया की अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मूल वाद खारिज किया जा चुका है तथा न्यायालय हाजा में मूल वाद खारिज किये जाने के विरुद्ध अपील संख्या 326/2024 विचाराधीन है। यह रिव्यू प्रार्थना पत्र हाजा न्यायालय द्वारा अपील खारिज किये जाने के विरुद्ध पेश किया गया हैं। जो कि मूल वाद के अभाव में सारहीन हो चुका है।

हमने अभिभाषक अपीलांट द्वारा किये गये कथनों पर मनन किया तथा अपील संख्या 326/2024 का अवलोकन किया बाद अवलोकन अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मूल वाद खारिज हो चुका है तथा अपील न्यायालय हाजा में विचाराधीन है। यह रिव्यू प्रार्थना पत्र अपील अन्तर्गत धारा 225 राज० काश्त० अधिनियम को खारिज किये जाने के विरुद्ध पेश किया गया है जो कि मूल वाद के निस्तारण हो जाने के कारण सारहीन हो चुका है।

अतः रिव्यू प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज किया जाता है। प्रार्थना पत्र फ़ैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर